संख्या– 774/22-2-2000-10(64)/00

प्रेषक,

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2008

विषय– उ0प्र0 के न्यायालय द्वारा दण्डित रूग्ण, उम्रदराज व असहाय सिद्धदोष पुरूष/महिला बन्दियों के फार्म–ए, 14 वर्षीय नामिनल रोल, इनफरमिटी रोल तथा दयायाचिका के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित रूग्ण, उम्रदराज व असहाय सिद्धदोष पुरूष/महिला बन्दी काफी संख्या में निरूद्ध है, इनमें कतिपय ऐसे भी बन्दी है जो कि नितान्त ही असहाय एवं गरीब है, जो अपने मामले को सम्यक् रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते है । ऐसे बन्दियों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है ।

सिद्धदोष बन्दियों की रिहाई के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध रूग्ण, उम्रदराज व असहाय सिद्धदोष पुरूष/महिला बन्दियों, जिनसे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा जिनका आचरण अच्छा है, के प्रकरणों का निस्तारण पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है । इन सिद्धदोष कैदियों के फार्म–ए, नामिनल रोल, इनफरमिटी रोल तथा दयायाचिका के आधार पर प्रकरणों के निस्तारण किये जाने का प्राविधान है । शासन का मन्तव्य है कि उक्त प्राविधानों का लाभ ऐसे सभी रूग्ण, उम्रदराज व असहाय सिद्धदोष पुरूष/महिला बन्दियों को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाय ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं विधिवत परीक्षण कर अपने सुस्पष्ट मन्तव्य के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें । जिससे इन बन्दियों के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जा सके ।

भवदीय

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव ।

....2/

संख्याः 774 (1)/22–2–2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0 ।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।
3– क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार, मेरठ/इलाहाबाद/आगरा/गोरखपुर/बरेली/लखनऊ ।
4 समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला कारागार, उ0प्र0 ।
6– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(राम स्वरूप)
विशेष सचिव